


आदेश

1. गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना संख्या-2845/सी0 दिनांक-30.06.2026 के द्वारा श्री पीयूष पाण्डेय, भा0पु0से0 (2014), वरीय पुलिस अधीक्षक, पूवी सिंहभूम, जमशेदपुर को स्थानान्तरित करते हुए पुलिस मुख्यालय, झारखण्ड, राँची में योगदान करने का आदेश दिया गया है।
2. गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना संख्या-2846/सी0 दिनांक-30.06.2026 के द्वारा श्रीमती निधि द्विवेदी, भा0पु0से0 (2013), पुलिस अधीक्षक, सरायकेला-खरसावाँ को स्थानान्तरित करते हुए पुलिस मुख्यालय, झारखण्ड, राँची में योगदान करने का आदेश दिया गया है।
गत्यादेश :-उक्त अधिसूचना के आलोक में संबंधित पदाधिकारी अविलम्ब अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक के आदेशानुसार,


पुलिस महानिरीक्षक(मानवाधिकार),
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक.....532...../जी0


G/04-04-2020

महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक का कार्यालय, झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक :- 30 / 06 / 2026

प्रतिलिपि :-

1. मुख्य सचिव, झारखण्ड, राँची को कृपया सूचनार्थ।
2. माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव, झारखण्ड, राँची को कृपया सूचनार्थ।
3. माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, झारखण्ड, राँची को कृपया सूचनार्थ।
4. अपर मुख्य सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची को कृपया सूचनार्थ।
5. महानिदेशक-सह-महासमादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवाएँ को कृपया सूचनार्थ।
6. महानिदेशक, रेल/अप0अनु0वि0/भ्र0नि0 ब्यूरो/संचार एवं तकनीकी सेवाएँ को कृपया सूचनार्थ।
7. महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ।
8. सभी अपर पुलिस महानिदेशक, झारखण्ड, राँची को कृपया सूचनार्थ।
9. विशेष सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ।
10. सभी पुलिस महानिरीक्षक, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
11. पुलिस महानिरीक्षक, निगरानी-सह-सुरक्षा, झारखण्ड विद्युत बोर्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
12. प्रबंध निदेशक, जे0पी0एच0सी0एल0, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।
13. सभी पुलिस उप-महानिरीक्षक, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
14. सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/समादेष्टा, झारखण्ड को सूचनार्थ।
15. राज्यपाल के परिसहाय (पुलिस), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ।
16. संबंधित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ।
17. संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ।
18. प्रभारी, एन0जी0ओ0/महानिदेशक नियंत्रण कक्ष/प्रभारी डाटा सेन्टर को सूचनार्थ एवं सभी संबंधित जिला/इकाई को फैक्स/ई-मेल/वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।


पुलिस महानिरीक्षक(मानवाधिकार),
झारखण्ड, राँची।